

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग
छठी मंजिल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002.

F.NO. 266/DCF(P&M)/VS/Q.273/2024-25/8407-10

दिनांक:- 27/03/2025

सेवा मे

उप सचिव (प्रश्न शाखा)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054.

विषय: विधान सभा प्रश्न संख्या- 273 (अतारांकित) जो कि दिनांक 28.03.2025 को माननीय विधायक
श्री अजय महावर द्वारा पूछा जाना है।

महोदय,

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियाँ आपकी अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

यह माननीय मंत्री (पर्यावरण एवं वन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात जारी
किया जाता है।

भवदीय,

संलग्नक:- ऊपरोक्त अनुसार।

राजीव रंजन

(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव (पर्यावरण एवं वन)

F.NO. 266/DCF(P&M)/VS/Q.273/2024-25/8407-10

दिनांक:- 27/03/2025

प्रतिलिपि:

1. प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली।
2. प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-02 के
सूचनार्थ हेतु।
3. निदेशक, सूचना एवं प्रसारण, निर्देशालय दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली। (150 प्रतियाँ).

राजीव रंजन

(राजीव रंजन)

संयुक्त सचिव (पर्यावरण एवं वन)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वन एवं वन्य जीव विभाग,
ए-ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110002.

अतारांकित प्रश्न संख्या: 273

दिनांक - 28.03.2025

प्रश्नकर्ता का नाम - श्री अजय महावर

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्र. सं	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि ओ जोन में स्थित होने के कारण घोंडा विधान सभा के पुराने गाँव गढ़ी में डू और पुराना गाँव उस्मानपुर घनी आबादी होने के बावजूद बिजली, पानी, सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं से वंचित हैं;	शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से दिल्ली विकास प्राधिकरण, , आई. एंड. एफ़. सी. डी, एल. एम. बंध कार्यालय परिसर, दिल्ली जल बोर्ड, डी. एस. आई. आई. डी.सी., एवं ऊर्जा विभाग के उत्तर मिले, जिनका विवरण इस प्रकार है।
(ख)	यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि वजीराबाद रोड़ से शास्त्री पार्क तक पुराने पुस्ते की बाउंड्री लाइन पर पक्का बांध बनाकर गाँव को ओ जोन से निकालकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है;	1. दिल्ली विकास प्राधिकरण का उत्तर Annexure-A पर उपलब्ध है। 2. आई. एंड. एफ़. सी. डी, एल. एम. बंध कार्यालय परिसर का उत्तर Annexure-B पर उपलब्ध है। 3. दिल्ली जल बोर्ड का उत्तर Annexure-C पर उपलब्ध है। 4. डी. एस. आई. आई. डी.सी का उत्तर Annexure-D पर उपलब्ध है। 5. ऊर्जा विभाग का उत्तर Annexure-E पर उपलब्ध है।
(ग)	घोंडा विधान सभा तीसरे पुस्ते उस्मानपुर खादर में स्थित वन क्षेत्र और जीव जंतुओं के रखरखाव हेतु वन विभाग को अब तक कितना बजट आबंटित किया गया, कितना बजट खर्च किया गया और इस बजट से क्या क्या कार्य किए गए, सूचि सहित पूर्ण विवरण दें; और	घोंडा विधानसभा तीसरे पुश्ते उस्मानपुर खादर में स्थित वन क्षेत्र और जीव जन्तुओं के रखरखाव हेतु वन विभाग ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 55000 बम्बू और 7000 झाड़ियों के पौधा रोपण किया। जिसमें की बम्बू की निम्न प्रजातिया जेसे की बम्बू तुल्हा, बम्बू नुटन्स, Dendrocalamus species और झाड़ियों की निम्न प्रजातिया जेसे की चांदनी, हार सिंगार, फालसा, जंगली करोंदा, अश्वगंधा, बेर Cassia biflora, Lagerstroemia indica इत्यादि का पौधा रोपण किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में पौधारोपण एवं रखरखाव हेतु 76,47,334/- रुपये आबंटित किये गये जिसमें से अभी तक रुपये 71,48,281/- उपयोग किया जा चुका है। CAMPA बजट के तहत 5.3 हेक्टर जमीन पर लगे 5900 वृक्षों के रखरखाव हेतु आवंटित 15,00,000/- रुपए में से 12,28,263/- का उपयोग किया गया है।
(घ)	घोंडा विधान सभा के यमुना खादर में कितने और कौन कौन से वन्य जीव हैं?	वन विभाग के वन क्षेत्र में नीलगाय, साँप, गौरिया, मोर, मैना, जंगली सूअर, तोता इत्यादि और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी पाये जाते हैं।

यह माननीय मंत्री (पर्यावरण एवं वन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात जारी किया जाता है।

Dy. Conservator of Forest (P&M)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002



DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
PARLIAMENT & COORDINATION BRANCH
VIKAS SADAN, INA, NEW DELHI-110023

Dated: 24.03.2025

No. F5(03)/MISC/2015/P&C/VS/DDA/130

To,
The Deputy Secretary (Parliament Section),
Urban Development, GNCTD,
9th Level, C-Wing, Delhi Secretary,
IP Estate, New Delhi -110002.

Sub: Unstarred questions raised in Second Session (Budget Session), 2025 of 8th Delhi Legislative Assembly-regarding.

Sir,

This has reference to letter no. F53(09)USQ75/2ndSection (Budget Section)2025/UD/216-220 dated 17.03.2025 vide which it was asked to send appropriate material to the department for preparation of answer to the Legislative Assembly Sabha questions.

In this regard, please refer to this office letter no. F.5(3)/Misc./2015/P&C/VS/769 dated 02.08.2018 wherein it is stated that as per Article 239 AA (3)(a) of the Constitution, the Legislative Assembly has the power to make laws with respect to any of the matters enumerated in the State List, or in the Concurrent List, except matters with respect to Entries 1, 2 and 18 of the State List and Entries 64, 65 and 66 of the List in so far as it relates to the said entries 1, 2 and 18. Therefore, on reserved subjects, i.e., subjects mentioned in the Entries 1, 2 and 18, the State Government has no powers either to make law or take an executive action. Further, Rule 29 of the Procedure and Conduct of Business of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi states that the subject matter of Questions must relate to a matter of administration for which the Government is responsible.

Therefore, in view of the provisions contained in Article 239 AA (3) and (4) read with Rule 29 of the Procedure and Conduct of Business of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, legally the Speaker of the Legislative Assembly cannot admit any Question on any Reserved Subject. It is further added that if the answers of the questions raised by the Assembly related to DDA are required, the same should be routed through the Ministry of Housing and Urban Affairs, GoI, as DDA works under the control of the Central Government.

However, DDA would continue to respond to correspondence from GNCTD with regards to issues pertaining to DDA's role in the development of NCT of Delhi and public welfare.

This is for information & perusal approved by competent authority.

Encl: As above

Copy to:-

1. Special Secretary to LG, LG office, Delhi for information please.
2. Under Secretary, DD(I/II/III/IV/V/VI) MoHUA for information please.


(Surendra Kumar Meena)
Commissioner-cum-Secretary

Dy. Conservator of Forest (P&M)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
IP Estate, New Delhi-110002

(Surendra Kumar Meena)
Commissioner-cum-Secretary

266

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(Office of the Commissioner-cum-Secretary)
Block-B, Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023

No. F.5(3)/Misc./2015/P&C/VS/ 769

Dated: 2nd August, 2018

To

Shri Sandeep Mishra
Special Secretary (Parliament Section)
Urban Development Deptt., GNCTD
9th Level, C-Wing, Delhi Secretariat
I P Estate, New Delhi-110002.

Sub: Unstarred questions raised on 7.6.2018 in Second Part of 7th Session of Sixth Delhi Legislative Assembly - Reg.

This is with reference to your letter No. F.53(USQ)/Budget Session-Second- June-2018/Delhi Assembly/UD/D-7175-7176 dated 9.7.2018 on the subject mentioned above having reference No. F.USQ/Budget Session-II June-2018/Delhi Assembly/UD/D-6983-43 (USQ-80), 6925-34 (USQ-78), 6977-80(USQ-89) and 6901-6904 (USQ-70) dated 29.5.2018 and Supplementary-First D-7066 to 7068 dated 13.6.2018 vide which it was asked to send appropriate material to the department for preparation of answer to the referenced subject.

In this regard, it is stated that as per Article 239 AA (3)(a) of the Constitution, the Legislative Assembly has the power to make laws with respect to any of the matters enumerated in the State List, or in the Concurrent List, except matters with respect to Entries 1, 2 and 18 of the State List and Entries 64, 65 and 66 of the List in so far as it relates to the said entries 1, 2 and 18. Therefore, on reserved subjects, i.e., subjects mentioned in the Entries 1, 2 and 18, the State Government has no powers either to make law or take an executive action. Further, Rule 29 of the Procedure and Conduct of Business of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi states that the subject matter of Questions must relate to a matter of administration for which the Government is responsible.

Therefore, in view of the provisions contained in Article 239 AA (3) and (4) read with Rule 29 of the Procedure and Conduct of Business of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, legally the Speaker of the Legislative Assembly cannot admit any Question on any Reserved Subject. It is further added that if the answers of the questions raised by the Assembly related

Dy. Conservator of Forest (P&M)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

265

are required, the same should be routed through the Ministry of Housing & Urban Affairs, Government of India, as DDA works under the control of the Central Government.

However, DDA would continue to respond to correspondence from GNCTD with regard to issues pertaining to DDA's role in the development of NCT of Delhi and public welfare.

This issues with the approval of the Competent Authority.

07/1



(D. SARKAR)
Commissioner-cum-Secretary

Dy. Conservator of Forest (P&M)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

कार्यालय मुख्य अभियंता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
दिल्ली सरकार
एल.एम.बंघ कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 273
दिनांक : _____
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री अजय महावर
क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

पर्यावरण

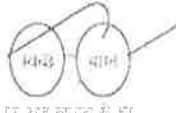
क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि ओ जोन में स्थित होने के कारण घोंडा विधानसभा के पुराने गांव गढ़ी मेंडू और पुराना गांव उस्मानपुर घनी आबादी होने के बावजूद बिजली, पानी, सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं से वंचित हैं;	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से संबंधित नहीं है।
(ख)	यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि वजीराबाद रोड़ से शास्त्री पार्क तक पुराने पुश्ते की बाउंड्री लाइन पर पक्का बांध बनाकर गांव को ओ जोन से निकालकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है;	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग कि वजीराबाद रोड़ से शास्त्री पार्क तक पुराने पुश्ते की बाउंड्री लाइन पर पक्का बांध बनाने की कोई भी योजना प्रस्तावित नहीं है।

शिव कुमार

(शिव कुमार)

नोडल अधिकारी/सर्वेक्षक
कार्यालय मुख्य अभियंता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

Dy. Conservator of Forest (P&M)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

	DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI OFFICE OF DIRECTOR (A & P) VARUNALAYA PHASE-II KAROL BAGH, NEW DELHI-110005	
---	---	---

No. DJB/Dir.(A&P)/Parl. Cell/2025/85

Dated : 25/3/25

To

The Dy. Secretary(Parlament Cell),
 Urban Development Department
 Govt. of NCT of Delhi
 9th Level, "C" Wing, Delhi Secretariat,
I.P. Estate, New Delhi-110002.

Subject:-Vidhan Sabha Un-starred Question No. 273 due for 28.03.2025.

Sir,

Kind attention is invited towards your letter dated 22.03.2025 on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Encl: As above.


 (Amit Kumar Jain)
 Director (A&P)

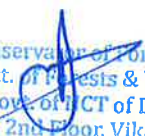
No. DJB/Dir.(A&P)/Parl. Cell/2025/86

Dated : 25/3/25

Copy to:

Member (DR.)


 Director (A&P)


 Dy. Conservator of Forest (P&M)
 Deptt. of Forests & Wildlife
 Govt. of NCT of Delhi
 A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
 I.P. Estate, New Delhi-110002

विभाग : दिल्ली जल बोर्ड

प्रश्न संख्या -- अतारांकित 273

दिनांक- 19-03-2025

विधायक - श्री अजय महावर

प्रश्न	उत्तर
क) क्या यह सत्य है की ओ ज़ोन में स्थित होने के कारण घोंडा विधान सभा के पुराने गाँव गढ़ी मेंडु और पुराना गाँव उस्मानपुर घनी आबादी होने के बावजूद बिजली, पानी, सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं से वंचित है ।	जी हाँ, यह गाँव ओ ज़ोन के अंतर्गत आते हैं, परंतु पानी की सुविधा टैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है ।
ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि वजीराबाद रोड से शास्त्री पार्क तक पुराने पुश्ते की बाउन्ड्री लाइन पर पक्का बांध बना कर गाँव को ओ ज़ोन से निकाल कर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है ।	वर्तमान में दिल्ली जल बोर्ड में इस तरह की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है ।
ग) घोंडा विधान सभा तीसरे पुश्ते उस्मानपुर खादर में स्थित वन क्षेत्र और जीव जन्तुओं के रख रखाव हेतु वन विभाग को अब तक कितना बजट आवंटित किया गया, कितना बजट खर्च किया गया और इस बजट से क्या क्या कार्य किए गए, सूची सहित पूर्ण विवरण दे, और	दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित नहीं है ।
घ) घोंडा विधान सभा के यमुना खादर में कितने और कोण कोण से वन जीव है?	दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित नहीं है ।

मुख्य अभियंता (पूर्व)

अधीक्षक अभियंता (सी)-02

Dy. Conservator of Forest (P&M)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

DELHI STATE INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE DEV. CORP. LTD.

Plot No. 74/A, Ring Road, Lajpat Nagar-III, New Delhi-110024

Office of the Executive Engineer (Plg. UC)

No: DSIIDC/EE (Plg.)/2024-25/10003

Dated- 25/3/2025

सेवा में

उप-सचिव (सं० शा०)
शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
9 वॉ तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई पी इस्टेट, नई दिल्ली-110002

विषय:- आठवी दिल्ली विधानसभा के द्वितीय सत्र (बजट सत्र) 2025 का तारांकित प्र० सं. 273 माननीय विधायक श्री अजय महावर
दिनांक 28.03.2025 के संदर्भ में।

संदर्भ: एफ. 53 अत- 273/द्वितीय सत्र (बजट सत्र) 2025/श.वि./291.98 दिनांक 28.03.2025

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में यह कहा जाता है कि डी.एस.आई.आई.डी.सी से सम्बन्धित अन-ऑथराइज्ड कालोनियों की जानकारी/सामग्री निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि ओ जोन में स्थित होने के कारण घोड़ा विधान सभा के पुराने गांव गढी मेडू और पुराना गांव उस्मानपुर घनी आबादी होने के बावजूद बिजली पानी सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं से वंचित है	यह प्रश्न डी.एस.आई.आई.डी.सी से सम्बन्धित नहीं है।
ख)	यदि हां तो क्या यह भी सत्य है कि वजीराबाद रोड से शास्त्री पार्क की बाउंड्री लाइन पर पक्का बांध बनाकर गांव को ओ जोन से निकालकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है	
ग)	घोड़ा विधानसभा तीसरे पुश्ते उस्मानपुर खादर में स्थित वन क्षेत्र औ जीव जन्तुओं के रखरखाव हेतु वन विभाग को अब तक कितना बजट आवंटित किया गया कितना बजट खर्च किया गया और इस बजट से क्या क्या किए गए सूची सहित पूर्ण विवरण दें और	
घ)	घोड़ा विधानसभा के यमुना खादर में कितने और कौन कौन से वन्य जीव हैं?	

भवदीय

(हस्ताक्षर)
(ए. के. सिन्हा) 25/3/2025

अधिसाक्षी अभियन्ता - Plg

प्रतिलिपी सूचनार्थ प्रेषित:-

- उप सचिव (प्रश्न शाखा), दिल्ली विधानसभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

Dy. Conservator of Forest (P&M)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002

ऊर्जा विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
आठवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002

एफ 14 (232)/विधान सभा/ अतारांकित प्रश्न संख्या 273/पावर/2025/1458-1459

दिनांक : 25/3/2025

सेवा में

वन एवं वन्यजीव विभाग,
ए-ब्लॉक, दूसरा तल,
विकास भवन, आई पी एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

विषय:- अतारांकित प्रश्न संख्या 273 माननीय विधायक श्री अजय महावर दिनांक 28.03.2025 के संदर्भ में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या एफ 53/ अता 10 प्र0-273/द्वितीय सत्र (बजट सत्र)2025/श.वि. / 291-98 दिनांक 23.03.2025 के संदर्भ में माननीय विधायक श्री अजय महावर द्वारा उठाए गये विषय के संबंध में प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है

प्रश्न	उत्तर
क) क्या यह सत्य है कि ओ जोन में स्थित होने के कारण घोड़ा विधानसभा के पुराने गांव गढ़ी मेंडू और पुराना गांव उस्मानपुर घनी आबादी होने के बावजूद बिजली, पानी, सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं से वंचित है:	संबंधित बिजली वितरण कंपनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि एनजीटी के निर्देशानुसार गांव गढ़ी मेंडू और पुराना उस्मानपुर ओ-जोन में आते हैं जिसकी वजह से वहाँ कोई भी नये कनेक्शन नहीं लगाये जा रहे हैं।
ख) यदि हाँ तो क्या यह भी सत्य है कि वजीराबाद रोड से शास्ती पार्क तक पुराने पुश्ते की बाउंड्री लाइन पर पक्का बांध बनाकर गांव को ओ जोन से निकालकर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है.	यह प्रश्न ऊर्जा विभाग से संबंधित नहीं है।

सूचना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित है।

1 महीना
विकास 145
24/3/25
(विकास पण्डित)
उप सचिव (ऊर्जा)

एफ 14 (232)/विधान सभा/ अतारांकित प्रश्न संख्या 273/पावर/2025/1458-1459

दिनांक 25/3/2025

प्रति प्रेषित

उप सचिव (प्रश. शो) शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, 9 वीं तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-110002

Dy. Conservator of Forest (P&W)
Deptt. of Forests & Wildlife
Govt. of NCT of Delhi
A-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan,
I.P. Estate, New Delhi-110002